



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1399]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 2007/कार्तिक 23, 1929

No. 1399]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2007/KARTIKA 23, 1929

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2007

क्र.आ. 1928(अ).—केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियमावली, 1952 के नियम 2, 3, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) के समय-समय पर यथा संशोधित आदेश का.आ. 223(अ) दिनांक 21 फरवरी, 2002 के अधीन नियुक्त किए गए सदस्यों, जिनकी पदावधि समाप्त हो गयी है, के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों को सरकारी राजपत्र के इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए लिथो प्रिंटिंग उद्योग सहित प्रिंटिंग विभाग परिषद् का पदेन सदस्य नियुक्त करती है :—

- संयुक्त सचिव, —सदस्य
(कागज प्रभाग के प्रभारी),
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली
- संयुक्त सचिव, —सदस्य
(प्रकाशन प्रभाग के प्रभारी),
सूचना और प्रसारण मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

- निदेशक (प्रिंटिंग), —सदस्य
प्रिंटिंग निदेशालय,
शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
- निदेशक, —सदस्य
भारतीय मानक ब्यूरो,
मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002
- अध्यक्ष, —सदस्य
लुगदी, कागज और सम्बद्ध उद्योग
विकास परिषद्
- निदेशक, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, —सदस्य
ई-2, एम.आई.डी.सी. एरिया,
पोस्ट बॉक्स नं. 9432
अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400093
- निदेशक, —सदस्य-
केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, सचिव
पोस्ट बॉक्स नं. 174, हिम्मत नगर,
पेपर मिल रोड,
सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)

2. विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियमावली 2 के खंड (ग) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेशक, केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) को उक्त विकास परिषद् के सदस्य सचिव के कार्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त करती है।

[फा. सं. 8(1)/2004-कागज]

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy & Promotion)

ORDER

New Delhi, the 13th November, 2007

S.O. 1928(E).—In exercise of powers conferred by Section 6 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with Rules 2, 3, 4 and 5 of the Development Council (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints, for a period of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette, the following persons to be the ex-officio Members of the Development Council for Printing including Litho Printing Industry, in place of members appointed under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce & Industry (Department of Industrial Policy & Promotion) No. S.O. 223(E) dated 21st February, 2002, as amended from time to time, whose tenure of office has expired :—

1. Joint Secretary, —Member
(Incharge of Paper Division)
Department of Industrial Policy
& Promotion,
Ministry of Commerce & Industry,
Udyog Bhavan, New Delhi.
2. Joint Secretary, —Member
(Incharge of Publication),
Ministry of Information
and Broadcasting,
Shastri Bhavan, New Delhi.

3. Director (Printing), —Member
Directorate of Printing,
Ministry of Urban Development,
New Delhi.
4. Director, —Member
Bureau of Indian Standards,
Manak Bhavan,
9, Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi-110002.
5. Chairman, —Member
Development Council for Pulp Paper &
Allied Industries.
6. Director, Indian Institute of Packaging, —Member
E-2, MIDC Area, Post Box No. 9432,
Andheri (East), Mumbai-400093
7. Director, —Member
Central Pulp & Paper Research Institute, Secretary
P.B. No. 174, Himmat Nagar,
Paper Mill Road,
Saharanpur (Uttar Pradesh).

2. In pursuance of clause (c) of rule 2 of the Development Council (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints the Director, Central Pulp & Paper Research Institute, Saharanpur (U.P.) to carry on the functions of the Member-Secretary to the said Development Council.

[F.No. 8(1)/2004-Paper]
N.N. PRASAD, Jt. Secy.